

कार्यालय नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती भवन, खण्ड-ब, तृतीय तल, नवा रायपुर अटलनगर फोन एवं फैक्स 0771-2510274
Email-clm.cg@nic.in

क्र. /विमा/प्रवर्तन/2020

रायपुर दिनांक .12.2020

—: आदेश :—

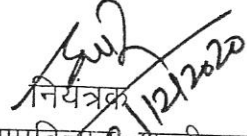
पूर्व में जारी पत्र क्र. 1860/विमा/अनुज्ञप्ति/2018 दिनांक 06.09.2018 में संशोधन करते हुए समस्त निरीक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि ऐसे अनुज्ञप्तिधारी जो विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 एवं छत्तीसगढ़ विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) नियम 2011 के तहत नियतकालीन प्रतिवेदन/विवरणी विभाग को समय पर प्रस्तुत नहीं करता है। उन पर छत्तीसगढ़ विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) नियम 25 के अंतर्गत 5000 रुपये तक शास्ति आरोपित किया जाता है।

01. निर्माता -- 5000 रुपये
02. सुधारक -- 5000 या 2000 रुपये
03. विक्रेता --2000 रुपये

पृ.क्र. 1343 /विमा/प्रवर्तन/2020
प्रतिलिपि :-

नियंत्रक
विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़
नवा रायपुर, अटलनगर,
रायपुर दिनांक 28.12.2020

1. समस्त सहायक नियंत्रक विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
2. निरीक्षक विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


नियंत्रक
विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़
नवा रायपुर, अटलनगर